प्रशासन गांव कें संग (फोलोअप)अभियान वर्ष – 2022

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 29 सन 2022

अनवान :–

1. शीला पत्नी महावीर प्रसाद जाति जाट साकिन ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 20/05/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम रोही मौजा चक बिरकाली बारानी के खाता संख्या 740/589 की कुल 2.530हैक्ट में से 1/3 हिस्सा एवं रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 277/272 की कुल 5.5010हैक्ट में से 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण सुलोचना पत्नी महावीर प्रसाद दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम शीलादेवी पत्नी महावीर प्रसाद है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम शीलादेवी पत्नी महावीर प्रसाद दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक बिरकाली बारानी के खाता संख्या 740/589 की कुल 2.530हैक्ट में से 1/3 हिस्सा एवं रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 277/272 की कुल 5.5010हैक्ट में से 1/3 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम सुलोचना पत्नी महावीर प्रसाद के स्थान पर शीलादेवी पत्नी महावीर प्रसाद संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

जबाब शामिल मिसल किया जाकर प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली प्रशासंन गांव के संग(फोलाअप) अभियान वर्ष – 2022 में पेश हुई

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की रोही मौजा चक बिरकाली बारानी के खाता संख्या 740/589 की कुल 2.530हैक में से 1/3 हिस्सा एवं रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 277/272 की कुल 5.5010हैक में से 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण सुलोचना पत्नी महावीर प्रसाद दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम शीलादेवी पत्नी महावीर प्रसाद है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम शीलादेवी पत्नी महावीर प्रसाद दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा चक बिरकाली बारानी के खाता संख्या 740/589 की कुल 2.530हैक में से 1/3 हिस्सा एवं रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 277/272 की कुल 5.5010हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी का नाम सुलोचना पत्नी महावीर प्रसाद दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम शीलादेवी पत्नी महावीर प्रसाद है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम शीला पत्नी महावीर प्रसाद दर्ज है प्रार्थी ने अपने नाम के सम्बध में स्वय का शपथ/दस्तावेजात सरपचं ग्राम पचायत /तहसीलदार की अभिशषां के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /शपथ पत्र /एवं पेरोकार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक बिरकाली बारानी के खाता संख्या 740/589 की कुल 2.530हैक में से 1/3 हिस्सा एवं रोही मौजा नीमला के खाता संख्या 277/272 की कुल 5.5010हैक में से 1/3 हिस्सा में प्रार्थी का नाम सुलोचना पत्नी महावीर प्रसाद के स्थान पर सुलोचना उर्फ शीला पत्नी महावीर प्रसाद संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/05/2022 को प्रशासन गांव के संग (फोलोअप) अभियान में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2022
कैम्प कोर्ट गोरखाना

उपखण्ड अधिकारी
नोहर